26/8/2022

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0) G

प्रार्थी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	भागीरथराम पुत्र गिरधारी जाट अड़कसर

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 148 / 2022 **GCMS No. 2022/297**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.08.2022	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा ग्राम कांकोट पटवार हल्का शिव तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 87 में रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकरण में प्रभावित आवश्यक पक्षकार श्री भागीरथराम पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी अड़कसर द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय छाया प्रति खनन पट्टा 11/07 की लीज हस्तानान्तरण की प्रति प्रस्तुत की जाकर अनुरोध किया गया कि उसके पक्ष में लीज हस्तानान्तरण खनिज विभाग द्वारा जारी की जाकर उप पंजियक कुचामनसिटी के कार्यालय में पजीबद्व की गई है। उक्त लीज राज. माईनर मिनरल कन्सेशन नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार जारी की गई है जिसमें खननी लीज भूमि तक पहंच मार्ग का प्रावधान है, तदनुसार लीज हस्तानान्तरण दस्तावेज में एंव इसके संलग्न नक्शें में कटाणी मार्ग से लीज भूमि तक पहुंच मार्ग को दर्शाया जाकर खनि कार्यदेशक मकराना पटवारी हल्का व आवेदक द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावित है, इसके साथ ही राज. सरकार 6 राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (8) राज–3/96 दिनॉक 17.01.02 की प्रति	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पेश की गई है जिसमें माईनिंग लीज का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के निर्देश है। जमबांदी सम्वत 2070–2073 में जरिये ना. सं. 229 दिनॉक 14.03.14 के द्वारा लीज हस्तान्तरण का अमल तो कर दिया परन्तु नक्शें में तरमीम नही किय जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत है, अतः प्रार्थी तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं खनन लीज 11/07 के प्रमाणित नक्शे अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार कुचामनसिटी आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)